बालकों के अधिकार

*** जस्टिस नगेन्द्र कुमार जैन**

जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के भाग तीन में मूलभूत अधिकारों में वर्णित है। न्यायालय भी उसको मान्यता देता है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा भी स्वीकार किये गये हैं व देश के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

इन अधिकारों में प्रदूषणमुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, स्त्री, पुरुष, बच्चे व वृद्ध लोगों के समान अधिकार आदि। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार हैं व उनके हनन का मामला राज्य मानवाधिकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व बनता है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति वह जवाबदायी हो। सुशासन वह महत्वपूर्ण तत्त्व है जो मानव अधिकारों की रक्षा को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करता है। बेहतर समाज के लिए जरूरी है, मानव अधिकारों का संरक्षण हो।

हम यह भी जानते हैं कि बच्चों को देश का भविष्य कहा गया है। भावी नागरिक होने के नाते उन पर देश का भविष्य टिका होता है। परन्तु फिर भी उनके संतुलित विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं व रुकावटें निरन्तर बनी रहती हैं।

उनके अधिकारों में सबसे बड़ी रुकावट व समस्या भीख मांगने की प्रवृत्ति व बाल श्रम है। बाल श्रम के साथ बच्चों में अशिक्षा, कुपोषण, विकास की कमी, बीमारियां भी शामिल हैं व इसी कारण बच्चों के विरुद्ध छोटे-छोटे अपराधों के साथ बड़े अपराध भी, जैसे बलात्कार, अपहरण, कन्याओं को बेचना, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसे अपराध भी होते हैं।

भारत में बाल श्रम से संबंधित कई अधिनियम बने हैं जैसेः–

1– बाल अधिनियम 1933, इसमें बाल श्रमिक को बंधक बनाने वालों के विरुद्ध 50 रु. एवं दलाल या नियोक्ता के खिलाफ 200 रु. जुर्माने का प्रावधान है।

2– बाल रोजगार अधिनियम–1938, इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान रखे गये हैं। अधिनियम के निर्धारित परिशिष्ट के तहत अयोग्यता की सूची में रखा गया है।

3– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948, इसमें न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संदर्भ में साढ़े चार घंटे का सामान्य कार्य दिवस माना गया है।

4– खान अधिनियम–1952, संशोधित अधिनियम–1983 में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को खदानों या जमीन के नीचे कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है।

5– अधिनियम–1959, के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा बाल अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा 1959 में की गई जिसमें उन्होंने 10 सिद्धान्तों पर अपनी रजामंदी बताई, जिसमें भाईचारा, मित्रता, शांति आदि हैं। इसमें बाल संयुक्त राष्ट्रीय एवं राज्य की बाल अधिकारों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं और माता–पिता व स्थानीय सिद्धान्तों की मंजूरी दी गई है। जन्म के साथ ही बालक राष्ट्रीयता का अधिकारी होगा व स्वस्थ पोषण, मकान सुविधा, शारीरिक विकलांगता आदि की शिक्षा दी जायेगी। छोटी उम्र में मां से अलग नहीं किया जायेगा। उनकी सभ्यता का विकास, योग्यता का विकास होगा। सामाजिक व नैतिक दायित्वों के हिसाब से माता–पिता का शिक्षा के लिए दायित्व होगा।

   (1) बालक प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र मत राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म व संस्तर के भेदभाव के बिना, इन अधिकारों का हकदार होगा।

   (2) सभी बालक शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास, स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा व अवसर के अधिकारी होंगे।

   (3) प्रत्येक बालक अपने जन्म के साथ ही नाम और राष्ट्रीयता का हकदार एवं अधिकारी होगा।

(4) प्रत्येक बालक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा। उसे और उसकी माता को स्वास्थ्य, देख–रेख व सुरक्षा का अधिकार जन्म के पूर्व व जन्म के बाद उपलब्ध रहेगा। बालक को उचित पोषण, मनोरंजन व चिकित्सा का अधिकार प्राप्त होगा।

(5) मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को विशेष उपचार, देख–रेख व शिक्षा दी जायेगी।

(6) अपने पूर्ण व संतुलित विकास के लिए बच्चे को प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता है। छोटी आयु का बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं किया जाएगा। बिना परिवार व सहारे वाले बच्चों की समाज व लोक–प्राधिकारियों द्वारा देखरेख प्रदान की जायेगी। बड़े परिवार वाले बच्चों को राज्य सहायता दिया जाना भी इच्छित है।

(7) बालकों को कम से कम प्राथमिक स्तर तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

(8) बालकों को सभी स्थितियों में सुरक्षा व राहत सबसे पहले पहुंचाई जायेगी।

(9) बच्चे की उपेक्षा, क्रूरता व शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की जायेगी।

(10) बच्चे की प्रजातीय, धार्मिक व अन्य प्रकार के भेदभाव से रक्षा की जायेगी। उसका पालन–पोषण समझ, सहनशीलता, मित्रता शांति व सार्वभौम भाईचारे के अनुसार किया जाएगा।

6– बाल श्रम अधिनियम–1986, इसमें 25 खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश की गई है। अवहेलना होने पर तीन से बारह माह की कैद या 10 से 20 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रमिकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में 1989 में बाल अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने कई समस्याओं पर विचार किया, जिसमें भारत भी सम्मिलित था। कुछ खास अनुच्छेद जैसे :–

(क) अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत स्वास्थ्य व बीमारियों के इलाज की सुविधाएं व पुनर्स्थापना से संबंधित।

(ख) अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य माना है।

(ग) अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत से मनोरंजन, खेलकूद, का अवसर व अवकाश के समय में आराम देने का प्रावधान भी रखा गया है।

(घ) अनुच्छेद 32 में आर्थिक शोषण को रोकने, खतरनाक कामों से दूर रखने के साथ-साथ सुरक्षा का प्रावधान भी रखा गया है।

(च) अनुच्छेद 39 (इ) में राज्य नीतियों को निर्देश देता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कामगारों का स्वास्थ्य व शक्ति तथा बच्चों की कम उम्र का गलत इस्तेमाल न किया जाये तथा वे आर्थिक कारणों से ऐसे पेशे अपनाने को मजबूर न हो जाएं जो बच्चों की उम्र और शक्ति के उपयुक्त न हों।

इसके साथ संवैधानिक प्रावधानों में भारत के संविधान व मौलिक अधिकार राज्य नीति निर्देश सिद्धान्तों में आर्टिकल 15 (3), ,24, 45, 39 में कम उम्र के बच्चों को मजबूर व उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाये।

यहां यह बताना भी आवश्यक है कि बच्चों के अधिकार के लिए 1924 में जेनेवा में पहला अधिवेशन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसेम्बली में 1948 में अधिकारों की घोषणा के समय बच्चों के अधिकारों को मान्यता देते हुए मानव अधिकारों की घोषणा में शामिल किया गया। बच्चों के अधिकारों के लिए 1976 में भारतीय संविधान में भी 42वां संशोधन किया गया।

किशोर न्याय कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम–2000 के अन्तर्गत बालगृहों के निर्माण और इसके रख–रखाव के लिए राज्य सरकारों को इनके व्यय की आवश्यकता के 50 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा बच्चों की देखभाल और बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम एवं दत्तकता को ग्रहण करने के लिए बढावा, शिशु गृहों में भी योजना का प्रावधान।

प्रत्येक बच्चे का शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा किसी भी देश, धर्म, संस्कृति अथवा परिवेश के दायरे में नहीं बांधी जा सकती। बाल अधिकार संगठन स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में सेवाभाव से कार्यरत हैं व काफी घरेलू लड़कियां व लड़कों को बाल मजदूरी से मुक्त करा चुके हैं परन्तु बहुत कार्य शेष है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अभी हाल में जोधपुर में एक सेमीनार/वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें यह सामने आया कि

खदानों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों को दुष्परिणामों को आजीवन भुगतना पड़ता है। इस संबंध में ''ग्रेविस'' व ''हैडकॉन'' संस्थाओं का प्रयास भी प्रशंसनीय रहा है।

इसके अलावा यह भी देखने में आया कि अभी तक घरेलू कार्य करने वाले छोटे बच्चों को कानूनी प्रावधान में शामिल नहीं किया गया है। कट्स संस्था 1983 से छोटे व निम्न तबके के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है और पांच जन चेतना के बड़े कार्यक्रम भी कर रही है। इस सेमीनार के माध्यम से ''हम भी बच्चे हैं'' परियोजना राज्य स्तरीय एडवोकेसी सेमीनार आयोजित कर रही है। संस्था से जुड़े समर्पित कार्यकर्ता/एनजीओ को मैं बधाई देना चाहूँगा। इस संस्था का यह प्रयास सराहनीय है।

आशा है गरीब बच्चों का किसी भी तरह से शोषण न हो व कैरियर एजेन्ट उसका लाभ न लें। इसके लिए सरकार की तरफ से कानून बनाना जरूरी है, जिसमें माता–पिता की भी जिम्मेदारी रहे कि वे अपने फायदे के लिए अपने बच्चों को घरेलू व अन्य काम में न भेजें। साथ ही काम करने वाले बच्चों व मालिकों की ग्रीडी (लालची) प्रवृत्ति को रोकना होगा। 'राइड एण्ड इक्विलिटी' का ध्यान रखना होगा। बच्चों की उम्र व क्षमता के अनुसार कार्य एवं समय नियत होना जरूरी है।

पढ़ाई के साथ–साथ अन्य मनोरंजन, खेलकूद, टी.वी., अखबार व एक दिन की छुट्टी का प्रावधान हो, उनको पूरा नाश्ता व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। राज्य सरकार द्वारा भी दिन का भोजन बालकों को कुछ हद तक उपलब्ध कराया जा रहा है।

मेरे हिसाब से वर्तमान में बेरोजगारी की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विधि में यह प्रावधान अवश्य होना चाहिए कि यदि कोई बालक अपनी शिक्षा एवं खेलकूद के समय के अतिरिक्त पैतृक व्यवसाय में अभिभावक की मदद करता है तो वह उसकी शिक्षा का ही एक अंग है, जो आगे चलकर उसके रोजगार से जुड़ेगा।

सरकार के साथ–साथ स्वयंसेवी संस्थाओं व हम सभी का यह प्रयास होना चाहिये कि ये वास्तविक रूप से लागू हों, जिससे ये बालक देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में सहायक हों। ❑ ❑

* अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट।

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।

(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित।

(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।

(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।

(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।

(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।

(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का संगठनात्मक संरचना

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सिरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)

2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)।

HUMAN RIGHTS - CHILDS RIGHTS
LEGAL LITERACY & AWARENESS SERIES - 1/2005

बालकों के अधिकार

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

बालकों के अधिकार

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर